

सियोल दक्षिण कोरिया के प्रभञ्जकार जांच कार्यालय (सीआईओ) के अधिकारियों ने सुबह हिरासत में लिये गए राष्ट्रपति यून सुक येओल से पूछताछ शुरू कर दी। येओल को हिरासत में लेने के बाद रंगगंगी प्रांत के ग्वांगेओन स्थित सीआईओ मुख्यालय ले जाया गया। यहाँ ढाई घंटे तक उनसे पूछताछ की	गई। सीआईओ के डिप्टी प्रमुख ली जे-सेंगन के नेतृत्व में अधिकारियों ने सुबह करीब 11 बजे यून सुक येओल से पूछताछ शुरू की। इस दौरान येओल के वकील भी मौजूद रहे। येओल से पूछताछ मुख्यतः उनकी मार्शल लाँ की अल्ट्राधार्मिक घोषणा पर केंद्रित है। यह घोषणा येओल ने तीन दिनोंकर की रात की थी। इस बीच	विपक्ष के तेवर देख यह घोषणा वापस ले ली गई। विपक्ष ने मोर्चाबंदी कर नेशनल असेंबली की पूर्ण बैठक आहूत कर येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इस पर मतदान हुआ। मतदान में राष्ट्रपति को तगड़ा झटका लगा और महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद इसे संवैधानिक अदालत भेजा गया। संवैधानिक अदालत में मंगलवार को	इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। यून सुक येओल हिरासत में लिए जाने वाले पहले मौजूदा कोरिया राष्ट्रपति हैं। जांच अधिकारियों को 48 घंटों के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि हिरासत में पूछताछ जारी रखने के लिए औपचारिक गिरफ्तारी वारंट दाख किया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए। सीआईओ ने सुबह 10:33 बजे हिरासत वारंट निष्पादित किया।
--	--	--	--



मुगाई। उनके बड़े बेटे और वीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहीमन, पूर्व प्रधान मन्त्री सय्यद काजी सलीमून हक कमलाल, पूर्व प्रमुख सचिव कमालुद्दीन सदीकी, व्यवसायी शरफुद्दीन अहमद को 10 साल कैद के की सजा सुनाई थी।

खालिदा जिया ने 2018 में ट्रायल कोर्ट की सजा के फैसले खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने खालिदा जिया की अपील खारिज कर उनकी पांच साल कैद की सजा को भी बढ़ाकर 10 साल कर दिया था।